न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एल आर/87/2011

उनवान

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नि जमनेश चौबे, निवासी स्वरूपगंज, तहसील एवं जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रतन लाल पुत्र रामचन्द्र जोशी निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. मांगी लाल पुत्र किशना टेलर निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
3. देबी लाल पुत्र चैना कीर निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
4. देबी लाल पुत्र मेघा गाडी निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
5. रामलाल पुत्र किशन वैष्णव निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
6. रामप्रसाद पुत्र रामनाथ लढा निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
7. शोभा लाल पुत्र तुलसीराम सुथार निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
8. मोहन लाल पुत्र मांगी लाल सुथार निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
9. ऊंकार लाल पुत्र चुन्नीदास वैष्णव निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
10. मदन लाल पुत्र नानुराम काला निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
11. शंकर लाल पुत्र नानुराम काला निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
12. रामचन्द्र पुत्र रामनाथ सुथार निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. मोती लाल पुत्र मांगी लाल जाट निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
14. गफ्फार हाजी पुत्र कासम मुसलमान निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
15. भैरू लाल पुत्र गोपी लाल तेली निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
16. रामेश्वर पुत्र बद्री लाल सुथार निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
17. छगन लाल पुत्र गोपी कीर निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
18. बरदु पुत्र कालू कीर निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
19. रतन लाल पुत्र देवा गाडरी निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
20. नारायण पुत्र मुला गाडरी निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा
21. शंकर लाल पुत्र किशन तेली निवासी स्वरूपगंज तहसील एवं जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरू जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण
संख्या 6/2010 निर्णय दिनांक 26.4.2011

अधिवक्तागण :-

1. श्री गणेश लाल जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थीया
2. श्री बी एल गुर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 23.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाडा की साबिक आराजी नम्बर 314 मीन रकबा 2.08 बीघा में से 17 बिस्वा भूमि विपक्षीया को दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

22.4.1966 को जरिये मिसल संख्या 1330/65 के तहसीलदार भीलवाडा द्वारा आवंटित की गई। इस भूमि के हाल आराजी नम्बर भू प्रबन्ध के बाद 539 रकबा 19 बिस्वा कायम किये गये । उक्त आवंटित आराजी भूमि सार्वजनिक उपयोग की होकर रास्ते के रूप में स्वरूपगंज से खैराबाद, बिलियांकला तथा झोपडियॉ व मंगरोप जाने का रास्ता है। विवादित भूमि में सार्वजनिक पानी की टंकी तथा बिजली का ट्रांसफर व स्कूल एवं खेतों में जाने का रास्ता है। इस प्रकार हर प्रकार से विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। सन् 1965 से आज दिन तक विपक्षीया का कब्जाकाश्त नहीं है। इस आवंटन की जानकारी गांववालों को नहीं है। विपक्षीया का पति प्रभावशाली राजनैतिक पार्टी का सदस्य था, जिसने अपने प्रभाव से सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अपनी पत्नी के नाम पर आवंटन करा लिया । लेकिन मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। विपक्षीया के पुत्र राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है , जो विवादित भूमि पर हाल ही में कब्जा करने में आमादा होकर कब्जा करने लगे, जिस पर गांव के सभी नागरिकों ने विरोध किया , जिससे विपक्षीया अथवा उसके परिवारजन कब्जा करने में सफल नहीं हो सके। ग्रामवासियान की तरफ से इस भूमि के बाबत विपक्षीया को पूछने पर पता चला कि विवादित भूमिं सन् 1966 में ही विपक्षीया को आवंटित हुई, जिस पर ग्राम वासियान की ओर से राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया लेकिन आवंटन पत्रावली बाबत कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ । प्राप्त राजस्व रेकार्ड से जानकारी में आया कि विपक्षीया को इस विवादित आराजी का आवंटन वर्ष 1965–1966 में होना पाया गया , जिससे व्यथित होकर आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु समस्त ग्रामवासियान स्वरूपगंज को अधिकृत किया गया, जिससे यह आवेदन ग्रामवासियान स्वरूपगंज की ओर से समस्त प्रार्थीगण ने निजी तौर पर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विवादित भू आवंटन को निरस्त कराने हेतु पेश किया जा रहा है। दिनांक 22.4.1966 को तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा किया गया भू आवंटन विधि एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि को आवंटित की गई, जो रास्ते के रूप में, नाले के रूप में, सार्वजनिक पानी की टंकी व सार्वजनिक रास्ते के रूप में व शौचालय जाने हेतु उपयोग में आ रही है। आवेदन में यह भी अनुरोध किया गया है कि तथाकथित भूमि ग्राम स्वरूपगंज में आबादी क्षैत्र की भूमि है। जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन तहसीलदार ने विपक्षीया के पति के प्रभाव में आकर विधि विरूद्ध आवंटन किया जो निरस्त योग्य है। आवंटन से पूर्व कोई सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई । नियमों में आवंटन के बाद प्रथम वर्ष आधे भू भाग पर व दूसरे वर्ष में पूरे भू भाग पर काश्त कारना आवश्यक है, लेकिन आज दिन तक काश्त नहीं की गई है। विपक्षीया के पति के नाम पर काफी कृषि भूमि है । अतः विपक्षीया सद्भावी काश्तकार न होकर अन्य व्यापार करते हैं। इन तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया है जो गलत है। उक्त आवंटन फ्रोड, मिस रिप्रजेन्टेशन के आधार पर किया गया , जो निरस्त योग्य है। भू आवंटन संबंधी पत्रावली की नकलें लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन पत्रावली नहीं मिलने से यह आवेदन आवंटन निरस्तीकरण हेतु बिना आवंटन फार्म व बिना आवंटन आदेश के पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिसल संख्या 1330/65 दिनांक 22.4.1966 साबिक आराजी नम्बर 314 मीन रकबा 17 बिस्वा के नये हाल आराजी नम्बर 539 रकबा 19 बिस्वा के किये गये भू आवंटन को निरस्त कराया जावे तथा भूमि बिलानाम दर्ज करते हुए सार्वजनिक उपयोग उपभोग हेतु आरक्षित कराई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 (जिन्हे आगे नियम कहा गया है) के तहत जिला कलेक्टर, भीलवाडा (जिन्हें आगे केवल अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है) के यहां दिनांक 18.5.2010 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम स्वरूपगंज की साबिक आराजी संख्या 314 मीन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से 17 बिस्वा भूमि विपक्षी–अपीलार्थी श्रीमती कमला देवी को दिनांक 22.4.1966 को जरिये मिसल संख्या 1330/65 तहसीलदार भीलवाडा द्वारा आवंटित की गई। और भू प्रबन्ध होने के बाद नवीन आराजी संख्या 539 रकबा 19 बिस्वा कायम हुए । आवंटित आराजी सार्वजनिक उपयोग की होकर रास्ता सार्वजनिक पानी की टंकी, बिजली का ट्रांसफार्मर, स्कुल व खेतों में जाने का रास्ता है। यह भी कहा कि विपक्षी ने इस भूमि पर कभी काश्त नहीं की है एवं न ही कब्जा रहा है। आवंटन से पूर्व उद्घोषणा नहीं की गई और भूमि सार्वजनिक उपयोग की है । विपक्षी के पति के नाम पर काफी भूमि है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की ।

5. जिसका जवाब अपीलार्थीया/विपक्षीया की ओर से प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जहाँ तक इस आराजी में तथाकथित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ते का प्रश्न है वह वस्तुतः इस आराजी में न होकर आराजी संख्या 538 में ही स्थापित है और इस प्रकार रास्ते ट्रांसफार्मर भी आराजी संख्या 538 में ही स्थापित है और इस प्रकार रास्ते और ट्रांसफार्मर वाली कहानी विवादित आराजी से सबंधीत नहीं है। यह भी निवेदन किया कि भूमि 1989 में ही आवासीय प्रयाजनार्थ रूपान्तरित हो गई। अतः इस स्थिति में चूंकि आराजी का वर्गीकरण ही कृषि में नहीं रहा है और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 5 (24) की परिभाषा में यह भूमि नहीं रही है और जिला कलक्टर को ऐसे आवेदन सुनने की कोई अधिकारिता नही रही है। जवाब में यह भी कहा गया कि पूर्व में भी इन्हीं प्रावधानों के तहत जिला कलक्टर को आवंटन निरस्तीकरण का मामला प्रस्तुत किया गया और अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहॉ प्रकरण संख्य 377/72 मु0 रे0 में दिनांक 14.9.1972 को आवेदन खारिज कर दिया गया और आवंटन की पुष्टि हुई। वर्तमान में विपक्षी-अपीलार्थी खातेदार होकर भूमि 1989 से आबादी में रूपान्तरित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जवाब में अपीलार्थीया/विपक्षीया ने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 20.7.1965 की टिप्पणी पर कहीं भी यह अंकन नहीं है कि जमीन सार्वजनिक उपयोग की है और वस्तुतः उस समय टंकी और स्कुल का भाग निर्मित भी नहीं था। और उस समय जो आज्ञा दी गई उसमें न तो कमी है और न ही उसका उल्लंघन हुआ है।

6. इसके अलावा 1989 में किस्म रूपान्तरण के पश्चात वर्गीकरण भी बदल गया है और विपक्षी-अपीलार्थीया के पास कोई ऐसी भूमि नहीं थी जो परिसीमा से उपर हो । उसके पास मात्र 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि आती थी। आगे अतिरिक्त कथन में यह भी निवेदन किया कि आवंटन, खातेदारी अधिकार मिलने व आवंटन के 46 साल बाद यह प्रार्थना पत्र किस भी प्रकार से परिसीमा अवधि में नहीं है

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

और चूंकि पहले ही इस मामले में समुचित न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है। अतः पूर्व न्याय के सिद्धान्त से वर्तमान मामला चलने योग्य नहीं है। रतन लाल जोशी आदि के मध्य पक्षकारों में पहले विवाद चले अतः दुर्भावनावश यह आवेदन पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

7. प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार, हमीरगढ को कमिश्नर नियुक्त किया गया जिन्होंने दिनांक 3.2.2011 को मौका अवलोकन किया और मौका रिपोर्ट तथा मानचित्र भी पेश किया इस मौका रिपोर्ट में मात्र 21 फीट भू भाग पर स्कूल का हिस्सा होना बताया और किनारे पर 13 फीट क्षैत्र में पानी की टंकी होना बताया । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी आई कि आम रास्ते के किनारे गांव का गंदा पानी होकर निकलता है जो कि इस आराजी के पश्चिम की ओर है और इसे डोल फोडकर विवादित आराजी में होते हुए अपीलार्थीया/विपक्षीया की इसी आराजी में गैंहू की फसल बोई हुई है व बाकी पानी विपक्षीया/अपीलार्थीया की आराजी संख्या 539–540 में जाता है जिसमें गैंहू बोया हुआ है । बाकी भूमि पर विपक्षीया–अपीलार्थीया का कब्जा होना बताया गया जिसमें करीब 20 ट्रेक्टर पत्थर पडे हुए है और एक बाडा बनाकर गायें बंधी है तथा एक भाग में गैंहू की फसल खडी है। उक्त कमिश्नर रिपोर्ट के अलावा विपक्षीया/अपीलार्थीया की ओर से इस मामले में कई दस्तावेज यथा, आवंटन की पत्रावली, जमाबंदिया, आराजी संख्या 538 रास्ते की जमाबंदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 377/72 में पारित निर्णय दिनांक 14.9.1972 , कृषि भूमि पर काश्त किये जाने की जमाबंदी , आदि प्रस्तुत की गई दोनों पक्षों की ओर से कुछ व्यक्तियों के मौखिक शपथ पत्र भी पेश हुए हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.4.2011 में मुख्यतः यह अंकित करते हुए कि आवंटित भूमि का कुछ भाग राजकीय विद्यालय के भवन की चार दीवारी में आता है तथा कुछ पर टंकी बनी हुई है व शेष भाग वर्षा के पानी के निकास के लिए नाले के रूप में उपयोग में आता है और कुछ भूमि पर ग्रामवासी शौच करते है तथा चूंकि पानी निकासी हेतु नाला बना हुआ है जो केचमेण्ट ऐरिया की परिभाषा में आता है और किसी याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान विरूद्ध राज्य का सहारा लेकर यह कहते हुए कि ऐसी भूमि बाबत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रस्तुत किये गये हैं और यह कहते हुए कि ऐसी सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति विशेष के खाते में अभिलिखित होने पर ग्रामवासियों के हितों पर विपरीत असर पडता है। अतः वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थीया/विपक्षीया को किया गया आवंटन निरस्त करने एवं भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी का अपीलाण्ट को किये गये आवंटन बाबत पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) के तहत प्रकरण दर्ज हुआ और प्रकरण संख्या 377/72 राज्य विरूद्ध कमला देवी में दिनांक 14.4.1972 को निर्णय पारित कर अपीलार्थीया के पक्ष में हुए आवंटन को बहाल रखा गया । इस मामले में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो। इन परिस्थितियों में चूंकि इसी विषयवस्तु के संबंध में इसी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर निर्णय हो गया है और स्वयं राज्य ने कार्यवाही की थी । उस निर्णय की कोई अपील नहीं की गई। अतः रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है एवं पुनः 32-33 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र किसी भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रूप में पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन के पश्चात काफी वर्ष पश्चात यानि 1989 में भूमि रूपान्तरित होकर आबादी भूमि में परिवर्तित हो गई है जिसका शुल्क आदि भी प्रार्थी द्वारा जमा करा दिया गया है और अभिलेख में भी यह भूमि आबादी में रूप में दर्ज है। नियमों के नियम 14 (4) के तहत जिला कलक्टर, भीलवाडा को आबादी भूमि के बाबत कोई मामला सुनने की कोई अधिकारिता नहीं होने के बावजूद इस बिन्दु पर विचार किये बिना आवंटन निरस्त किये जाने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पूर्व के प्रकरण संख्या 377/72 में स्वयं राज्य द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया व वर्तमान मामले में राज्य को पक्षकार तक नहीं बनाया गया, इन परिस्थितियों में समुचित अपेक्षित पक्षकार के अभाव में यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर विचार नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

12. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया ने वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन 1965 में किया था और भू आवंटन कमेटी ने दिनांक 30.7.1965 को अपनी राय दी व दिनांक 20.4.1966 को अपीलार्थीया को आवंटन किया गया । उसके 45 वर्ष पश्चात (जबकि पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में परिसीमा अवधि में नहीं हो सकता । नियमों में ऐसे आवेदन की अवधि की सीमा परिसीमा अधिनियम की धारा 137 के तहत अधिकतम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3 वर्ष की है, उक्त अवधि में ही ऐसा आवेदन पेश किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

13. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण चाहे स्वरूपगंज के ही निवासी क्यों न हो उनका कोई लोकस स्टेण्डाई इस मामले में नहीं है । जहॉ तक वादग्रस्त आराजी में पानी की टंकी निर्मित होने एवं स्कूल के भाग का प्रश्न है स्वयं अपीलार्थीया/आवंटिया ने लोकहित में अपनी भूमि त्याग करके 1972 व 1980–1985 के मध्य में बनवाने की अनुमति दी थी और उस भाग पर अपीलार्थीया ने लोक हित को ध्यान में रखते हुए कोई आपत्ति नहीं की थी एवं बाधा उत्पन्न नही की। आवंटन के समय वादग्रस्त आराजी पर ऐसी कोई सुविधा नही थी। प्रार्थीगण का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

14. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में इस बिन्दु पर ज्यादा बल दिया कि भूमि में बरसाती पानी की निकासी हेतु नाला बना हुआ है , जबकि नाला मात्र 17 बिस्वा भूमि में ही नहीं बना होता है बल्कि नाला आगे भी जाना होता है। जहॉ तक पटवारी हल्का की रिपोर्ट का प्रश्न है दिनांक 30.7.1965 को पटवारी रिपोर्ट में भूमि की किस्म भू0रे0क0 अर्थात भूमि रेतीली व कंकडी अर्थात बंजड है। खसरा नौतोड 1965'66 में भी यही स्थिति बताई गई है। मिलान खसरा संवत 2023–26 में भूमि की किस्म भू0क0रे0 ही लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी ने बाद में काटकर 19 बिस्वा भूमि के बाबत बाद में खाल खद्दर गलत तौर से अंकित कर दिया । इस अंकन के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

होते हुए भी बरसाती नाला तो केवल इसी आराजी में पेकक्ट होकर गुजरे तथा दोनों तरफ विद्यमान नहीं रहे ऐसा कतई संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2005 (1) पेज 59 व माननी न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.8.2004 को हुआ का विवेचन कर जबकि इन न्यायिक उद्धरण में यह माना गया है कि नदी–नाले के जलागम क्षैत्र में नाडी भूमि निर्माण के उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। अपीलाधीन प्रकरण के तथ्य भिन्न है। वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि व कृषि खेत है । एकतरफ लोकमार्ग है नाडी व नाला वहाँ पर नहीं है। वह स्थिति भी दिनांक 15.8.1947 की बताई हुई है। व उसमें अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करने की अधिकारिता नहीं है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

15. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में वादग्रस्त आराजी में रास्ता होने का उल्लेख किया है जबकि राजस्व अभिलेख में ऐसा रास्ता वादग्रस्त भूमि में दर्ज नहीं है । रास्ता आराजी संख्या 538 में है । मौका रिपोर्ट जो कमिश्नर द्वारा बनाई गई है उसमें भी इस तथ्य का अंकन है। उक्त रिपोर्ट में मौके पर काश्त बोई हुई होना, बाडे में पशु व अन्य सामान आदि व रोडी पडी होना अंकित किया हुआ है। मात्र थोडे से भाग में जो सडक से होकर गंदा पानी जाता है उसका उपयोग छोटी सी नाली बनाकर इसी आराजी में कृषि उपयोग के लिए किया जा रहा है । जिसको बरसाती पानी का नाला बताकर व अब्दुल रहमान वाले विनिश्चय की गलत आड लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

16. प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीया ने वादग्रस्त आराजी का आवंटन गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन कराया है। वक्त आवंटन अपीलार्थीया के पास पर्याप्त भूमि थी। अपीलार्थीया का पति राजनैतिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति था जिसने अपने प्रभाव के बल पर वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपनी पत्नी के नाम पर करवाया था। आवंटन के काफी समय तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीया ने कभी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया । वादग्रस्त आराजी पर पानी की टंकी बनाई गई तब उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

17. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक उपयोग की होकर मौके पर गंदे पानी का नाला होकर पानी की टंकी बनी हुई है उक्त आराजी में शौच जाने के लिए महिलाऐं आती-जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उसमें भी यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित हुए हैं। वादग्रस्त भूमि पर जब अपीलार्थीया ने जबरन कब्जा करना चाहा तब जाकर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने रोकने का प्रयास किया तो अपीलार्थीया ने अपने नाम पर वादग्रस्त आराजी का आवंटन होने का कथन किया तब जाकर पता चला कि वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीया को आवंटन किया गया है। उसके बाद रेकार्ड प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु किस वर्ष में आवंटन किया गया इसकी जानकारी नहीं होने से रेकार्ड प्राप्त नहीं हो पाया । बिना रेकार्ड के अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है ।वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे। साथ ही यह भी कथन किया गया कि भूमि के रूपान्तरण हेतु अपीलाण्ट द्वारा कोई आवेदन नहीं किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया । बल्कि सार्वजनिक उपयोग की होने से सरकार ने ही किस्म आबादी अंकित की थी।

18. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया ने वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के पश्चात कभी काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। इस कारण भी आवंटन निरस्त योग्य था। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में आबादी एवं खाल खद्दर अंकित है। मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक उपयोग की माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी वादग्रस्त भूमि भूमि का कुछ भाग राजकीय विद्यालय के भवन की चार दीवारी में आता है तथा कुछ पर टंकी बनी हुई है व शेष भाग वर्षा के पानी के निकास के लिए नाले के रूप में उपयोग में आता है और कुछ भूमि पर ग्रामवासी शौच करते है तथा चूंकि पानी निकासी हेतु नाला बना हुआ है जो केचमेण्ट ऐरिया की परिभाषा में आना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2009 (10) पेज 94, आर आर टी 2005 (1) पेज 59, आर बी जे 1999 पेज 361, आर आर टी 2009 (2) पेज 1241, आर आर टी 2009 (2) पेज 839, आर आर टी 2009 (2) पेज 778, आर बी जे 2001 पेज 31, आर बी जे 2014 पेज 120, आर आर डी 2013 पेज 849, आर बी जे 2000 पेज 547, आर आर डी 1992 पेज 534, आर आर डी 1994 पेज 89, आर आर डी 2016 पेज 604 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपीलार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन 1965 में किया था और भू आवंटन कमेटी ने दिनांक 30.7.1965 को अपनी राय दी व दिनांक 20.4.1966 को अपीलार्थीया को आवंटन किया गया। आवंटन के समय अपीलार्थीया भूमिहीन काश्तकार थी। ऐसा कोई दस्तावेज प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थीया के पास परिसीमा से अधिकर भूमि आवंटन के समय रही हो।

20. अपीलार्थीया का यह भी निवेदन है कि स्वयं नायब तहसीलदार हमीरगढ जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त किया गया था उन्होनें भी अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया है कि उसमें भी इस तथ्य का अंकन है। उक्त रिपोर्ट में मौके पर काश्त बोई हुई होना, बाडे में पशु व अन्य सामान आदि व रोडी पडी होना अंकित किया हुआ है। मात्र थोडे से भाग में जो सडक से होकर गंदा पानी जाता है उसका उपयोग छोटी सी नाली बनाकर इसी आराजी में कृषि उपयोग के लिए किया जा रहा है।

21. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होकर उसका कुछ भू भाग राजकीय विद्यालय भवन की बाउण्ड्री के अन्दर आना एवं पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से पानी की टंकी बनी हुई है। इस तथ्य की पुष्टि मौका कमिश्नर रिपोर्ट से होती है। शेष भू भाग बरसाती पानी की निकासी हेतु नाले के रूप में उपयोग में आ रहा है। इसके अलावा ग्रामवासियान के शौच जाने के लिए उक्त भूमि का उपयोग किया जाना भी मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अपीलार्थीया द्वारा जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये थे उसके अवलोकन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त भूमि में से कुछ भू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भाग विद्यालय भवन की बाउण्ड्री में चला गया है एवं कुछ भू भाग पर पानी की टंकी बनी हुई है। इसके बाबत अपीलार्थीया का कथन है कि उसके द्वारा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए पानी की टंकी एवं विद्यालय भवन हेतु दान दी गई है। अपीलार्थीया द्वारा इस बाबत कोई लिखित में दान पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. राजस्व रेकार्ड के अनुसार (राजस्व नक्शा) वदग्रस्त भूमि ग्राम स्वरूपगंज की आबादी भूमि से सटी हुई होकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में कुछ भू भाग खद्दर खाल के रूप में दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थीया ने वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना में काश्त की हो । ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि के कुछ भू भाग में बरसानी पानी की निकासी के लिए नाला बना होना स्वयं अपीलार्थीया ने माना है एवं पर्चा मौका से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। ऐसा भू भाग केचमेण्ट एरिया की परिभाषा में आता है । जिसका आवंटन किया जाना अथवा खातेदारी अधिकार देना धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिविरूद्ध है। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों आर आर टी 2009 (10) पेज 94, आर आर टी 2005 (1) पेज 59, आर बी जे 1999 पेज 361, आर आर टी 2009 (2) पेज 1241, आर आर टी 2009 (2) पेज 839, आर आर टी 2009 (2) पेज 778, आर बी जे 2001 पेज 31, आर बी जे 2014 पेज 120, आर आर डी 2013 पेज 849, आर बी जे 2000 पेज 547, आर आर डी 1992 पेज 534, आर आर डी 1994 पेज 89, आर आर डी 2016 पेज 604 में भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को व्यक्ति विशेष को आंवटन नहीं किये जाने हेतु अभिमत व्यक्त किया गया है। इस प्रकार की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रादभूत नहीं होते हैं। पूर्व में वर्ष 1972 में पारित निर्णय एवं अपीलाधीन निर्णय में तथ्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भिन्न–भिन्न है। अतः रेसज्यूडिकेटा से उक्त निर्णय बाध्य नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

23. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.4.2011 को यथावत रखा जाता है।

24. निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/8/18

भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा